न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 128 / 2022

तारीख फैसला 9.09.2023

उनवान

1– रूकमणी बाई उर्फ भूरा बाई पुत्री बद्रीलाल, पत्नि प्रेमशंकर जाति धाकड निवासी सारोला तहसील दीगोद हाल अरलिया जागीर तहसील लाड़पुरा जिला कोटा (वादनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (प्रतिवादी)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

वादनी की ओर से – श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम सारोला तहसील दीगोद में वादनी व अन्य सहखातेदारान के खाते व कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 546 की 0.92 हेकटर, खसरा नम्बर 548 की 0.44 हेक्टर कुल 2 किता की 1.36 हेक्टर भूमि व खसरा नम्बर 34 की 0.63 हेक्टर, खसरा नम्बर 550 / 870 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 575 की 1.53 हेक्टर कुल 3 किता की 2.20 हेक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 29 की 0.13 हेक्टर , खसरा नम्बर 33 की 1.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 89 की 0.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 114 की 2.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 479 की 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 545 की 1.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 808 की 2.31 हेक्टर कुल किता 7 की 8.21 हेक्टर भूमि एवं ग्राभ मोतीकुंआ तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 158 की 3.83 हेक्टर , खसरा नम्बर 161 की 4.15 हेक्टर कुल 2 किता की 7.98 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमें वादनी का बोलता नाम भूरा बाई दर्ज है। उक्त आराजी में वादनी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम भूरा बाई के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है, जबकि वादनी का वास्तविक नाम रूकमणी बाई है, तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादनी का नाम रूकमणी बाई है जिससे वादनी को सरकारी योजनाओं में किशान क्रेडिड कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादनी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, पंचायत तस्दीक, आदि में वादनी का नाम रूकमणी बाई है। वादनी का नाम जमाबन्दी में भूरा बाई होने से सरकारी योजनाओ का लाभ व भूमि सुधार के लिये परेशानी हो रही है। वादनी को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम दुरूस्त कराने का कानूनन अधिकार है। इसलिये वादनी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादनी का नाम प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम रूकमणी बाई के स्थान पर भूरा बाई दर्ज कर दिया है जो गलत है। उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम भूरा बाई के स्थान पर रूकमणी बाई दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 4.07.2022 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम दुरूस्त नहीं करने कि कहने पर पैदा हुआ। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादनी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व

डिक्री पारित की जावे कि ग्राम सारोला तहसील दीगोद में वादनी व अन्य सहखातेदारान के खाते व कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 548 की 0.92 हेक्टर, खसरा नम्बर 548 की 0.44 हेक्टर कुल 2 किता की 1.36 हेक्टर भूमि व खसरा नम्बर 34 की 0.63 हेक्टर, खसरा नम्बर 550/870 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 575 की 1.53 हेक्टर कुल 3 किता की 2.20 हेक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 29 की 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 33 की 1.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 89 की 0.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 114 की 2.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 479 की 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 545 की 1.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 808 की 2.31 हेक्टर कुल किता 7 की 8.21 हेक्टर भूमि एवं ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 158 की 3.83 हेक्टर, खसरा नम्बर 161 की 4.15 हेक्टर कुल 2 किता की 7.98 हेक्टर भूमि जिसमें वादनी का नाम भूरा बाई अंकित है। वादनी का नाम भूरा बाई के स्थान पर रूकमणी बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिकी पारित की जावे।

2 वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई।

3 प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा पेश किया कि पटवारी हल्का कि रिपोर्ट अनुसार रूकमणी बाई उर्फ भूरा बाई पुत्री बद्रीलाल पत्नि प्रेमशंकर जाति धाकड निवासी सारोला तहसील दीगोद हाल अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा जिला कोटा के नाम शुद्धि के बारे में ग्रामीणों द्वारा पूछताछ की गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि रूकमणी बाई उर्फ भूरा बाई पुत्री बद्रीलाल एक ही महिला है और इस नाम की कोई और महिला नही है।

4 वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सारोला तहसील दीगोद में वादनी व अन्य सहखातेदारान के खाते व कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 548 की 0.92 हेक्टर, खसरा नम्बर 548 की 0.44 हेक्टर कुल 2 किता की 1.36 हेक्टर भूमि व खसरा नम्बर 34 की 0.63 हेक्टर, खसरा नम्बर 550/870 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 575 की 1.53 हेक्टर कुल 3 किता की 2.20 हेक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 29 की 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 33 की 1.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 89 की 0.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 114 की 2.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 479 की 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 545 की 1.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 808 की 2.31 हेक्टर कुल किता 7 की 8.21 हेक्टर भूमि एवं ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 158 की 3.83 हेक्टर, खसरा नम्बर 161 की 4.15 हेक्टर कुल 2 किता की 7.98 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमे वादनी का नाम भूरा बाई पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड दर्ज है। जबकि वादनी का वास्तविक नाम रूकमणी बाई पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड है, तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादनी का नाम रूकमणी बाई है वादी का नाम वोटर आई डी, आधार कार्ड, पंचायत ग्राम पंचायत सारोला का प्रमाण पत्र दिनांक 12.08.2015 आदि समस्त रिकार्ड में रूकमणी बाई पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड दर्ज है। इस कारण राजस्व रिकार्ड मे वादनी का नाम भूरा बाइ बाई पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड के स्थान पर रूकमणी बाई पुत्री बद्रीलाल पत्नि प्रेमशंकर जाति धाकड अंकित किया जाना आवश्यक है।

5 वादी द्वारा अपने कथनो के समर्थन मे मौखिक साक्ष्य के रूप मे गवाहान पी डब्ल्यू 1 रूकमणी बाई का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे ग्राम सारोला की जमाबन्दी सम्वत 2071 2074 तथा ग्राम मोतीकुआ की जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 वोटर आई

डी , आधार कार्ड, पंचायत सारोला की तस्दीक की छायाप्रति, आदि के समस्त रिकार्ड पेश किये गये।

6. प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद ने बहस के दौरान जवाब दावा में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम भूरा बाई पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड के स्थान पर रूकमणी बाई पुत्री बद्रीलाल, पत्नि प्रेमशंकर जाति धाकड दुरूस्त करने में किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

7. प्रकरण में अधिवक्ता वादनी की बहस तथा जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं पत्रावली में उपलब्द्व अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। पेश दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम भूरा बाई पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड के स्थान पर रूकमणी बाई पुत्री बद्रीलाल, पत्नि प्रेमशंकर जाति धाकड़ दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सारोला तहसील दीगोद में वादनी व अन्य सहखातेदारान के खाते व कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 546 की 0.92 हेकटर, खसरा नम्बर 548 की 0.44 हेक्टर कुल 2 किता की 1.36 हेक्टर भूमि व खसरा नम्बर 34 की 0.63 हेक्टर, खसरा नम्बर 550/870 की 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 575 की 1.53 हेक्टर कुल 3 किता की 2.20 हेक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 29 की 0.13 हेक्टर , खसरा नम्बर 33 की 1.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 89 की 0.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 114 की 2.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 479 की 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 545 की 1.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 808 की 2.31 हेक्टर कुल किता 7 की 8.21 हेक्टर भूमि एवं ग्राम मोतीकुंआ तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 158 की 3.83 हेक्टर , खसरा नम्बर 161 की 4.15 हेक्टर कुल 2 किता की 7.98 हेक्टर भूमि में वादनी का नाम भूरा बाई पुत्री बद्रीलाल जाति धाकड के स्थान पर रूकमणी बाई पुत्री बद्रीलाल, पत्नि प्रेमशंकर जाति धाकड़ दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.09.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमें आम में सुनाया गया।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

09/9/23
सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)